

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना

कार्यालय आदेश

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयनित एवं अनुशंसित कुल 63 अभ्यर्थियों में से दिनांक-28.12.2024 को आयोजित प्रथम कौन्सिलिंग में अनुपस्थित निम्नांकित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की जाँच/सत्यापन (2nd Document Verification) तदर्थ गठित समिति द्वारा श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना नियोजन भवन (प्रथम तल) ब्लॉक-सी बेली रोड, पटना-800001 अवस्थित 'प्रतिबिम्ब सभागार' में दिनांक-07.02.2025 (शुक्रवार) को 10:30 बजे पूर्वाह्न से किया जायेगा। अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक एवं नाम निम्नवत् है:-

क्र. सं.	अनुक्रमांक	नाम	क्र. सं.	अनुक्रमांक	नाम
01.	317475	श्री वसीमुर रहमान	10.	116966	श्री सागर सिंह
02.	320220	श्री कुमार मोहित	11.	305938	श्री प्रकाश त्रिपाठी
03.	231298	श्री राहुल शुक्ला	12.	270354	श्री सौरभ कुमार
04.	243087	श्री शाहरुख खान	13.	142845	सुश्री निकिता कुमारी
05.	320562	श्री श्याम सुन्दर गुप्ता	14.	353352	श्री प्रकाश आनन्द पाण्डेय
06.	222482	श्री कुमार अमन	15.	169801	सुश्री प्रीतिशा
07.	313910	श्री संदीप कुमार केशरी	16.	294730	श्री प्रशांत कुमार
08.	244923	श्री अवनीश कुमार राय	17.	326891	सुश्री ईशा सुमन
09.	147325	श्री राहुल कुमार गुप्ता	18.	227991	सुश्री सुकृति

1. 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयनित एवं अनुशंसित कुल 63 अभ्यर्थियों में से दिनांक-28.12.2024 को आयोजित प्रथम कौन्सिलिंग में अनुपस्थित सुश्री प्रिया आर्या रौल नं. -322145 जो वर्तमान में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया में प्रशिक्षणरत हैं अथवा कोई अन्य प्रशिक्षणरत पदाधिकारी जिसकी कौन्सिलिंग पूर्व में नहीं हो सकी है, के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों की जाँच/सत्यापन दिनांक-07.02.2025 को अपराह्न 12:30 बजे से बिपार्ड परिसर, गया में किया जाएगा।

1. प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए सभी अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी दो-दो स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे :-

- मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र।
- इण्टरमीडियट एवं स्नातक परीक्षा उत्तीर्णता का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
- अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
- अगर अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हों तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate)।
- अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए)।

- (vi) बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी/अन्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु)।
- (vii) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश-पत्र (Admit Card)।
- (viii) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।
- (ix) पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र (दो प्रतियों में) अभ्यर्थी अपने साथ लायेंगे। उक्त विहित प्रपत्र श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/labour> पर उपलब्ध है एवं यह इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।
- (x) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र।
- (xi) अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र कि सभी प्रमाण-पत्र सही हैं तथा उनके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई मामला दर्ज/विचाराधीन नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है। (विहित प्रपत्र में)। उक्त शपथ पत्र हेतु विहित प्रपत्र श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/labour> पर उपलब्ध है एवं यह इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।
- (xii) पासपोर्ट साईज का हाल का 6 (छः) रंगीन फोटो।
- (xiii) कोई फोटोयुक्त दस्तावेज जो अभ्यर्थी के पहचान को प्रमाणित करें, यथा—Aadhar Card, Driving License, Passport/Ration Card etc.

2. प्रमाण-पत्रों की जाँच हेतु सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

3. यदि कोई अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण-पत्रों के साथ जाँच हेतु उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता के संबंध में विधिसम्मत निर्णय लिया जाएगा।

4. प्रमाण पत्रों के सत्यापन, कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थी कोरोना गाईड लाईन, यथा मास्क, सेनेटाईजर, सामाजिक दूरी इत्यादि का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

(राजेश भारती)

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापक-05/आर0एल.-40-150/2024 श्र0सं0

538

पटना, दिनांक-

29/01/2025

प्रतिलिपि-1. आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

2. सहायक निदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि बिपार्ड, गया में प्रशिक्षणरत वैसे नवनियुक्त श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिनका प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं हुआ है उन्हें उक्त तिथि को बिपार्ड परिसर, गया में सत्यापन हेतु निर्धारित समय पर उपस्थित रहने का निदेश देना चाहेंगे। साथ ही सत्यापन हेतु स्थल चिन्हित कर अद्योहस्ताक्षरी को भी सूचित करना चाहेंगे।

श्रमायुक्त, बिहार

सत्यापन प्रपत्र

पासपोर्ट आकार की एक
अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो प्रति

यहाँ चिपकाएँ

धेतावनी

1. इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छुपाये जाने को अयोग्यता माना जायेगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।
 2. यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष-मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाए, जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किये जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है।
 3. यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वामाविक तथ्यों को छुपाया है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
-
- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम (यदि आपने कभी अपने नाम अथवा | कुलनाम |
| | कुलनाम में अंशतः कुछ जोड़ा अथवा निकाला हो तो उसे विनिर्दिष्ट करें) | नाम |
-
2. वर्तमान पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०.
गली/ स्ट्रीट/ सड़क तथा शहर
-
3. (क) घर का पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान
नं०, गली/ स्ट्रीट/ सड़क व शहर और जिला मुख्यालय का नाम
(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश (पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का
निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहाँ से भारत आने
की तारीख का उल्लेख करें।
-
4. गत पाँच वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें (आवास-अवधि सहित) जहाँ आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें।

से	तक	आवास का पूरा पता (अर्थात गाँव, थाना तथा जिला अथवा भकान नं० गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर)	पूर्व कालम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम
1	2	3	4

5.

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और /अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	व्यवसाय (यदि सेवारत हैं तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें)	पत्राचार का वर्तमान पता (दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थाई पता
1	2	3	4	5	6
(क) पिता (उपनामों सहित यदि कोई हो)					
(ख) माँ					
(ग) पत्नी/पति					
(घ) भाई					
(ङ) बहन/बहनें।					

6. उस पुत्र/ पुत्रों और पुत्री/पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं:-

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और /अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	जिस देश में पढ़ रहे/रह रहे हैं, उसका पूरा पता	पूर्व कालम में उल्लिखित देश में कब से पढ़ रहे/रह रहे हैं
1	2	3	4	5

(क) जनजाति	(क)
(ख) वर्तमान आयु	(ख)
(ग) मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्र में दी गई आयु	(ग)
8. (क) जिले व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान	(क)
(ख) आप किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं।	(ख)
(ग) आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं।	(ग)

(क) आपका धर्म

(ख) क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति /

अन्य पिछड़ी जाति से सम्बद्ध हैं। जिससे संबद्ध हों,

उसका नाम लिखें।

10. 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें।

पूरे पते सहित स्कूलों/कॉलेजों के नाम	स्कूल/कॉलेज में प्रवेश की तारीख	स्कूल/कॉलेज छोड़ने की तारीख	कौन सी परीक्षा पास की

11. (क) क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकाय, अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं। यदि हाँ तो सेवा की तारीखों सहित पूर्ण अद्यतन ब्यौरा दें।

अवधि से तक	पदनाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियोक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण

11. (ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार/राज्य सरकार/किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी।

(ग) क्या आपने केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली, 1985 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है? क्या नोटिस दिए जाने अथवा सेवा समाप्त किए जाने से पूर्व आदेश की तारीख में आपसे स्पष्टीकरण माँगा गया।

12. (i) (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है ? हाँ/नहीं

(ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है ? हाँ/नहीं

- अभ्यर्थी के हस्ताक्षर _____
तारीख _____
स्थान _____

In the Court of Sub- Divisional Magistrate/Executive Magistrate

Sri.....
S/O.D/O..... aged.....
by caste.....by faith.....
by Nationality Indian by occupation..... resident of
Village..... Town.....
P.O.....P.S.....
District do here by solemnly affirm and declare as follows :-

That I am a permanent resident of the aforesaid Village/Town which falls under
P.O..... P.S..... District.....

- (i) That there is no any adverse remarks against me in any, Police Station.
- (ii) That there is no criminal case against me in any Police Station or in any of the honourable Court.
- (iii) That all the documents i.e. caste certificate. residential certificate educational qualification certificates/marks sheets and others certificate filed by me in connections with the recruitment under Bihar Staff Selection Commission are true to the best of my belief and Knoledge.

If any wrong information arises in connection with my submitted certificates.
I will be liable to be punished under Law.

The statements made above are true to the best of my knowiedge. belicf &
information and sign this day.....
at.. ..

Deponent Signatare

Solemnly affirm and declared before me to be true by the deponent who is
Identified by the Advocate.....

Signaure of Magistrate.....